

एड. वैजनाथ कुशवाहा

विधायक

03, सारसाडा, जिला-मुरैना (म.प्र.)

तात्पर्य प्रांगणन एवं आवासन नियन्ति म.प्र. विधानसभा



निवास : पुले राज गृह, ए.एन.डी. कॉलेज गोड
सारसाडा, जिला-मुरैना - 476224 (म.प्र.)
फोन : 99262 67640
कार्यालय : H/E.P-2, चम्पल कॉलोनी, सारसाडा
जिला-मुरैना फोन नं. 07536-252222

क्रमांक ०५४/२२

दिनांक 24/02/22

प्रति,

मान. मुख्यमंत्री मठोठ्या,

म.प्र. भोपाल

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS) बढ़ाव करने वाले।

मान्यवाद,

उपरोक्त विषयांतर्भूत अनुरोध है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि पडोसी गज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS) को दुखाया लान् करने का ऐलान किया गया है। यौके रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था में ठर मरीने मिलने वाली पेशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारी अपने वेळतार अविष्य को लेकर पुरानी पेशन व्यवस्था में अपने आप को आर्थिक सुरक्षित मठशूल करते हैं। इसलिये प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी तथे समय से पुरानी पेशन व्यवस्था लान् करने की मांग कर रहे हैं।

आतः माननीय जी से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर म.प्र. सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति ढूँढ़ हो उन सभी को पुरानी पेशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का शीघ्र आदेश करने की कृपा करें।

सचिवाद।

(एड. वैजनाथ कुशवाहा)



शाहपुरादित्यनगर, 25/02/2022

लक्षण/103/2022/ 885

प्रति,

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,

मुख्यमंत्री महोदय जी,

मध्य प्रदेश शासन भोपाल

विषय :- राज्य के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अन्य प्रदेशों की भाँति मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों/ कर्मचारियों को । जनवरी 2004 के बाद पुरानी पेंशन बन्द कर नई पेंशन लागू की गई थी । मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोबारा प्रारंभ करने का ऐलान किया गया है ।

शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वृद्धावस्था में प्रत्येक महीना मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है । शासकीय कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इस कारण प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं ।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के समान मध्यप्रदेश सरकार में भी । जनवरी 2004 के बाद जितने भी शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (OPS) योजना के तहत लाभ दिये जाने का आदेश यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करे ।

सधन्यवाद

भूपेन्द्र
भूपेन्द्र सिंह मरावी
 विधायक
 विधानसभा क्षेत्र क्र 103 शहपुरा
 जिला-डिण्डोरी

निलय विनोद डागा

विधायक
बैतूल क्षेत्र क्र.131
म.प्र. विधानसभा



बैतूल निवास : डागा लाऊदा
कोटी बाजार, बैतूल (म.प्र.)-460001
फोन - 07141-233331, 230051
मोपाल निवास
38, फेट-2 रियेट टाउन,
माता गढ़िट घौटाल के पास मोपाल (म.प्र.)
फोन - 0755-2779753,

दिनांक BPL-2067
24/02/2022

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,

मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- पुरानी पेंशन बहाली, लंबित महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता भुगतान के संबंध में।

---00---

माननीय जी,

विषयान्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा हाल में अपने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए उनके राज्य के कर्मचारियों को अशंदायी पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।

राज्य के कर्मचारियों द्वारा भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग व आंदोलन काफी लंबे समय से लगातार करते आ रहे हैं, परन्तु शासन द्वारा अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिससे राज्य के कर्मचारियों में रोष व्याप्त हैं। साथ ही कर्मचारियों द्वारा केन्द्र सरकार के समान मंहंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की भी मांग की जा रही हैं। उक्त मांगे आज दिनांक तक लंबित हैं।

माननीयजी आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि राज्य कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने एवं मंहंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता केन्द्र सरकार के समान शीघ्र भुगतान कराने का कष्ट करें।

सादर.....

(निलय विनोद डागा)

नीलांशु

विधायक

६१-चित्रकूट, सतना (म.प्र.)



पता: गजमहल, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प.)

मो. 9630384540

भोपाल निवास/कार्यालय: १३-नवीन पारिवारिक
खण्ड क्र. १, विधायक विभाग गृह, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक... STA/२०/२०२२

दिनांक..... २५/०२/२०२२

प्रति,

श्री शिवराज सिंह जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषय:- कांग्रेस शासित राज्यों की भाति मध्यप्रदेश में भी शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना बहाल किये जाने बावत्।

मान्यवर,

जैसा कि आपको विदित ही है हाल ही में राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरानी पेशन योजना की बहाली की जा रही है कांग्रेस शासित राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेशन बहाली की घोषणा से हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की भी मांग जोर पकड़ रही है। मध्यप्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेशन योजना की बहाली की मांग की जा रही है। पुरानी पेशन योजना को पुनः लागू करने से जहां प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी वही उनके कार्य दक्षता में भी बृद्धि होगी।

ऐसे में यह नितान्त आवश्यक है कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए आप भी प्रदेश के मुखिया होने के नाते इस दिशा में त्वरित व समुचित कार्यवाही के निर्देश जारी करे जिससे प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों को पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

सधन्यवाद

आदर सहित

(नीलांशु)

बापूसिंह तंवर

विधायक

विधानसभा क्षेत्र - 162 राजगढ़
जिला - राजगढ़ (झावडा) म.प्र.



निवास कार्यालय	:	ए.पी. नगर बाध्यपाल सोहँ, राजगढ़ जिला पंचायत के सामने, राजगढ़ पिन कोड 465661 म.प्र.
भोपाल नि. मा. न.	:	E - 137/1, प्रांपंतर कॉलोनी, रविन्द्र भवन के सामने, भोपाल 9425422591, 9907789531

क्रमांक 2508

दिनांक 25/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS) बहाल करने वाले।

महोदय,

विषयान्तर्गत सादर अनुरोध है, कि जैसाकि आप अवगत हैं कि पठोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसुस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारि लंबे समय से पुरानी पेशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

कृपया आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें।

सहयोग के लिए आभारी रहूँगा।

मद्दीय

बापू सिंह तंवर

आलोक चतुर्वेदी 'पज्जन भैया'
विधायक
51-छतरपुर विधानसभा
जिला-छतरपुर (म.प्र.)



छतरपुर : काठालय नं. (07682) 231101
निवास - 'खेलग्राम' सागर रोड, छतरपुर
भोपाल : काठालय नं. (0755) 2440742
निवास - 'डी-5' 74, बंगला, भोपाल
● 94251 44000, 8225044000
E-mail : alokchaturvedi.mla@gmail.com

क. /1347

दिनांक 24/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
म.प्र. शासन, भोपाल म.प्र.

विषय :- नवीन पेशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेशन योजना लागू करने विषयक।

विषयाकिता के संबंध में लेख है कि प्रदेश में जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त लाखों घरुर्थ श्रेणी एवं उसके ऊपर के सभी कर्मचारी नई पेशन योजना के कारण सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य के लिए अत्यंत वित्तित हैं एवं तनाव के महील में जीवन यापन कर रहे हैं। यह समय-समय पर अपने मन की व्यथा को सरकार के समझ प्रकट करते रहते हैं।

सरकार एवं सरकारी कर्मचारी के मध्य एक अदूट संबंध एवं विश्वास होता है। अतः कर्मचारी के यत्नमान एवं भविष्य के सारंगण का दायित्व सरकार पर है। नई पेशन योजना लागू होने से सरकार एवं कर्मचारी दोनों को हानि हो रही है। उक्त योजना में सरकार एवं कर्मचारी का निश्चित मासिक अशंदान निजी सेवा प्रदाताओं के पास जा रहा है। भविष्य में निजी सेवा प्रदाताओं के व्यापार में कोई व्यवधान आ जाए जो इसका दृष्टिरिणाम कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट 2022-23 में म.प्र. में नई पेशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेशन योजना लागू करने की घोषणा करने का कदम करें।

आपका

(आलोक चतुर्वेदी)

वीरसिंह भूरिया

विधायक थांदला
जिला झावुआ (म.प्र.)



निवास:- ग्राम खटामा
ताह, मेघनगर
जिला झावुआ (म.प्र.)
मो.न 9425102631
7470362631

ब्राह्मांक/2022/

दिनांक 25/12/2022

प्रति

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी

माननीय मुख्यमंत्री,

मध्यप्रदेश शारान भोपाल

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओ०५०५०एस बढ़ाल करने वाले।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे अनुरोध है कि आप अवगत होंगे कि पढ़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था मे उर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक गजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था मे अपने आप को अधिक सुरक्षित गहसूस करते हैं इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार मे भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्तिया हुई उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें।

वीरसिंह भूरिया
विधायक थांदला
शीत्र ब्राह्मांक 194



जयवद्वन् सिंह
विधायक, राघीगढ़

क्रमांक 21/22

भोपाल, दिनांक 24.02.2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल

विषय :— मध्यप्रदेश में नेशनल पेंशन रकीम बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने वायत।

— — ० — —

मध्यप्रदेश में 1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को नवीन नेशनल पेंशन रकीम में समिलित किया गया है इसके पूर्व के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदेश में दिया जा रहा है। नवीन पेंशन रकीम बंद कर पुरानी पेंशन रकीम लागू करने के लिये प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों द्वारा विगत 17 वर्षों से मांग की जा रही है।

मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बजट सत्र 2021 में मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 5791 की कपिडका (ग) में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से प्रदेश के कर्मचारियों संगठनों से पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने हेतु प्राप्त पत्रों की जानकारी एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी, जिस पर माननीय मंत्री ने 19 मार्च 2021 को सदन में दिये लिखित जवाब में स्वीकार किया है कि “जी, हों। भारत सरकार द्वारा लागू की गई पुर्णसंरचित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनुसार ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की है। नवीन पेंशन प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।” उक्त जवाब से यह परिलक्षित होता है कि भारत सरकार द्वारा लागू एन.पी.एस.को म.प्र.शासन द्वारा बदला भी जा सकता है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने भारत सरकार के द्वारा लागू की गई नीति का अनुसरण करते हुये एन.पी.एस. लागू की थी। सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के लिये अभी तक कोई पहल ही नहीं की है, जिससे प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकें।

मैं यहां पर यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि नवीन पेंशन प्रणाली बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने हेतु राजस्थान सरकार ने दिनांक 23/02/2022 को आदेश प्रसारित कर राजस्थान में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है। इसी तरह अगर मध्यप्रदेश सरकार अपने समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहती है तो उसे भी कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लेना चाहिये। जहां एक प्रदेश की सरकार कोविड-19 जैसी महामारी में इन कर्मचारियों की जानजोखिम में डालकर काम लेती है और उनके कोविड के कारण

श्रीमती सुलोचना रावत

विद्यायक

विद्यानसभा क्षेत्र क्र. 192-जोड़ठ
जिला-अलीराजपुर
(पूर्व यैंची म.प्र.शासन)



मध्यप्रदेश विधानसभा

विधास- 63, हवेली फलिया,
ग्राम- कानाकाकड़, तहसील- जोड़ठ
जिला- अलीराजपुर (म.प्र.) 457990
भोपाल - विधायक विभाग गृह,
कस्ब क्र. 11, नया पारिवारिक खण्ड
क्र.एन- 1, भोपाल (म.प्र.) 462003
9827606050, 9179123458

क्रमांक 116

दिनांक 13/2/2022

प्रति,

माननीय शिवराजसिंह चौहान जी,
मण्डलमंत्री महोदय
मध्यप्रदेश शासन भोपाल

विषय :- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लम्बित मांगों और समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में।

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अलीराजपुर द्वारा दिनांक 13.02.2022 को मुझे एक ज्ञापन प्रस्तुत कर जिले के अध्यापक शिक्षक संघर्ग की क्र. 01 से 11 तक निम्नलिखित लम्बित मांगों और समस्याओं का निराकरण समयावधि में करवाने का अनुरोध करती हूँ।

अतः आप उक्त अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लम्बित मांगों और समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु ज्ञापन आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

धन्यवाद

(सुलोचना रावत)

विद्यायक

विद्यानसभा क्षेत्र क्र.192जोड़ठ,
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

लक्ष्मण सिंह

विद्यापक

30-चांधीडा, जिला गुना (म.प्र.)



किला, रापोगढ़

जिला गुना (म.प्र.) पिन - 473226

टूरमार (07544) 262246

ई-मेल - laxmanragho@gmail.com

पत्र क्र.904/MLA/CHACHODA

दिनांक 19 फरवरी 2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय: अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है की संभागीय उपाध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह राठौड़ एवं श्री कृष्णगोपाल टेलर, जिला अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला गुना म.प्र.में प्राप्त आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संग्रहन प्रेपित है। अध्यापक शिक्षक संघर्ग की निम्नांकित लंबित मांगों के निराकरण हेतु निवेदन किया गया है :

1. शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहानी, आंशित को अनुकम्पा नियुक्ति, बगिच्छता मूची का प्रकाशन, केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता।

2. ग्रेजुटी का लाभ, यीन कार्ड बेतनबृद्धि का लाभ एवं बेतन विसंगति में सुधार इत्यादि।

कृपया सादर अनुरोध है कि शिक्षकों की मांगों के निराकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
(लक्ष्मण सिंह)

विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214

खंड-४, मा. ०, वाराणसी-२०८०/
14, लोक एवार्टर, दमदमा, कोठी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)



Email : mistarana214@gmail.com
M. 98260-47177

क्र.
3120 / 2022 / तराना

दिनांक
24.02.2022

प्रति,

श्री शिवराजसिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, म०प्र० शासन भोपाल

विषय:- म०प्र० राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला।

—000—

मात्रगहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियेदन है कि, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. श्री अशोक गेहलोद जी द्वारा बजट सत्र के उद्घोषण में राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आप से नियेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर म०प्र० सरकार में भी जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनसभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने का सादर अनुरोध है।

मवदीय
महेश परमार
(महेश परमार)
विधायक

हर्षविजय गेहलोत (गुड्ह)

विधायक
क्षेत्र क्रमांक 221 सैलाना
जिला - रत्नाम (म.प्र.)



मो.9300631509, 9755332221

निवास : पुराना न.पा. भवन, सैलाना
जिला - रत्नाम (म.प्र.)

- स/ 05, नवीन पारिवारिक परिसर,
विधायक विश्राम गृह, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक ६५

दिनांक... २४/०२/२०२२

प्रति.

माननीय श्री शिवराजसिंहजी चौहान
मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन
भोपाल

विषय:- राज्य के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पुनः चालु करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 23.02.2022 को पढ़ौसी राज्य राजस्थान की सरकार द्वारा बजट में उक्त प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर पुनः पेंशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि युक्त सेवानिवृत्त के उपरान्त शासकीय कर्मचारी अपने वृद्धावस्था में जीवन व्यापन करने में भारी असुविधा का भाव उत्पन्न हो गया है। वे अपने भविष्य के प्रति चिंताजनक हैं वे अपने बेहसर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसुस करते हैं। इसलिये अपने प्रदेश में भी लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी की नियकित हुई है। उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश करने का कष्ट करे।

धन्यवाद ।।

(हर्षविजय गेहलोत)

महेश परमार

विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214



विधायक विभागगृह नवीन परिसर
खण्ड-३, क्र. ८, भोपाल (म.प्र.)
14, ब्लॉक क्वार्टर, दमदमा, कोठी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

Email : mliatarana214@gmail.com

M. 98260-47177

क्र.
3120 / 2022 / तराना

दिनांक
24.02.2022

प्रति,



श्री शिवराजसिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन भोपाल

विषय:- म0प्र0 राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाल्।

—000—

मार्गहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियेदन है कि, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. श्री अशोक गेहलोद जी द्वारा बजट सत्र के उद्घोषन में राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। इटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आप से नियेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर म0प्र0 सरकार में भी जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनसभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने का सादर अनुरोध है।

मवदीय
महेश परमार
(महेश परमार)
विधायक

गोपीलाल जाटव

पूर्व राज्य मंत्री म.प्र.शासन
विधायक
विधान सभा क्षेत्र 029, गुना
जिला गुना (म.प्र.)



गौशाला के पास, महावीरपुरा
ए. बी. रोड, गुना (म.प्र.)
मोबाइल - 9425131290, 7089056290

क्र. ८५

दिनांक... 13/02/2022...

प्रति,
माननीय मुख्यमंत्रीजी गहोदय,
मध्य प्रदेश शासन भोपाल

विषय:- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में

—000—

माननीय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला-शाखा गुना के द्वारा लंबित मांगों और समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है जो कि पत्र के संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न- ज्ञापन.

मवदीय
गोपीलाल
[गोपीलाल जाटव]

ग्यारसीलाल रावत
विधायक विधानसभा संघवा
क्षेत्र क्र. 187 जिला-बढ़वानी (म.प्र.)



कार्यालय : किला परिसर, कैनका
निवास : ग्राम किला, पोस्ट-बड़वानी
तह बजल विला-बड़वानी (म.प्र.)
भौतिक : नदीन परिवारिक चापड, 'ब' फ्लॉ
विधायक विभान गृह
फोन 94254-49446, 95175-00065

परामर्श / ...50122...../विधा./संघवा

दिनांक 24/07/2022

पति,

माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि पढ़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचियत्वा में हर महीने निलंबन वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें, ताकि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिल सके।

संघन्यवाद!

ग्यारसीलाल रावत
विधायक, विधानसभा क्षेत्र संघवा



क्रमांक . ३५५ / २०२२-२०२२

दिनांक २५-०३-२०२२

प्रति,

मानवीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय :— राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला
महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप सभी वर्गों के हित संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहते हैं प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की जा रही है नई पेंशन योजना में इन कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा नहीं है, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने से जहाँ इनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी वही सेवा निवृत्ति के बाद बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन निर्वाह हो सकेगा।

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बहाली की घोषणा से प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा भी यह मांग जोर पकड़ रही है हमारी सरकार को भी इन कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक कदम उठाने की जरूरत है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण व संवेदना के साथ इस दिशा में समुचित कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करेंगे।

सादर धन्यवाद,

नीरज विनोद दीक्षित
(नीरज विनोद दीक्षित)
विधायक
48 महाराजपुर

के. पी. सिंह, शिवाराम

(पूर्व मंत्री, म.प्र. शासन)

26, पिछोर, जिला - शिवपुरी (म.प्र.)



दृग्भाष : 0755-2440577

0751- 2231195

07496-245260

निवास : ई-25, 45 बंगला, भोपाल

छान्क - 442/MC/

दिनांक - 25-02-2021

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
म.प्र. शासन भोपाल।

विषय - राज्य के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना पुनः चालू करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कल दिनांक 23.02.2022 को पड़ोसी राज्य राजस्थान की सरकार द्वारा बजट में उक्त प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन बहाल कर पुनः पेशन शुरू करने का ऐलान करते हुये कहा कि सेवानिवृत्त के उपरांत शासकीय कर्मचारी अपने बृद्धावस्था में जीवन यापन करने में भारी असुविधा का भाव उत्पन्न हो गया है। वे अपने भविष्य के प्रति चिंताजनक हैं व अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिये अपने प्रदेश में भी लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।

कृपया अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेशन योजना के तहत लाभ दिये जाने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(के० पी० सिंह)

बापू सिंह तंवर

विधायक

विधानसभा हाउस - 162 राजगढ़
जिला - राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.



निवास	: एम.पी. नगर बायपास गेहू, राजगढ़
कार्यालय	: जिला पंचायत के सामने, राजगढ़
	पिन कोड 465661 म.प्र.
भोपाल नि.	: E - 137/1, प्रोफेसर काँलानी,
मा. नं.	रविन्द्र भवन के सामने, भोपाल 9425422591, 9907789531

क्रमांक 2508

दिनांक 25/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने वायत।

महोदय,

विषयान्तर्गत सादर अनुरोध है, कि जैसाकि आप अवगत हैं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसुस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारि लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

कृपया आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें।

सहयोग के लिए आभारी रहूँगा।

भवदीय

बापू सिंह तंवर

कमलेश प्रताप शाह

विधायक
विधानसभा क्षेत्र- 123, अमरवाडा
जिला-चिन्दवाडा (मध्यप्रदेश)



निवास :- राजमहल, तहसील-हुरई
जिला-चिन्दवाडा (म.प्र.)
मोबाइल नं. :- 9424679367

क्रमांक .३७/२२

दिनांक 24/02/2022

प्रति,

श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।
महोदय जी,

जैसाकि आप अवगत हैं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

सधन्यबाद

मदीय

कमलेश प्रताप शाह

विधायक

विधानसभा क्षेत्र अमरवाडा

डॉ. हिरालाल अलावा

एमडीबीबीएस, एमडी
पूर्व-प्राचीन एवं नई शिक्षा

विधायक:
भारत, संसद भवन - 110

पत्र सं. 430/एमपी-एमएस, 2022



Dr. Hiralal Alawa

MBBS, MD,
Ex-Ass. Prof. AIIMS, New Delhi

MLA
Manesar, Const. No. 199

दिनांक : 23/02/2022

प्रति

श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

**विषय : राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS)
बहाल करने बाबत।**

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि पढ़ोसी राज्य राजस्वान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेशन योजना (OPS) को दोषाता शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए कृदावस्था में हर महिने मिलने वाली पेशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी आपने बेहतर भविष्य को सेवकर पुरानी पेशन अवस्था में आपनेआप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेशन अवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्वान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

सधन्यवाद

भवदीय

डॉ. हिरालाल अलावा

तरवर सिंह लोधी

विधायक
विधानसभा क्षेत्र, बण्डा 42
जिला-सागर (म.प्र.)



निवास-रेस्ट हाउस के पास, वार्ड नं. 11
बण्डा, जिला-सागर (म.प्र.)
विधायक विभाग गृह-खण्डक. 1-54, 55, 56
भोपाल (म.प्र.)
मो. 9993253878, 9131661274

1070/MLA/BANDA/2022

दिनांक 25/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जहोदय,
म0प्र0 शासन, भोपाल

विषय :- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि वर्तमान में पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुल्करने को ऐलान किया गया है।

चूंकि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में हर महिने मिलने वाली राशि उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करती है शासकीय कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को आधिक सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए प्रदेश के शासकीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश शासन में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

तरवर सिंह लोधी

(तरवर सिंह लोधी)
विधायक बण्डा

पी.सी. शर्मा (पूर्व मंत्री)
विधायक, द. प. 152 भोपाल,
समाप्ति, लोक लेखा समिति
मध्यप्रदेश विधान सभा



निवास : F-1/7, 1100 क्षाटर्स, भोपाल
गो. नं. : 9425010011
फोन नं. : 0755-2440512
गिरान रामा फोन नं. : 0755-2523069

लम्बाक. 1003.

भोपाल, दिनांक, 24/2/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री गहोदय,
म.प. शासन,
भोपाल

विषय :- म.प्र. शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू
किये जाने वायत्।

माननीय मुख्यमंत्री गहोदय से आग्रह किया जा रहा है कि अन्य प्रदेशों की
भाँति म.प्र. राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2005 एवं 2005 के बाद
पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। तथा नई पेंशन शुरू की गई थी, जिसमें
अधिकारी/कर्मचारियों के मासिक येतन से 10 प्रतिशत कटोत्तर कर, उतनी ही राशि
सरकार द्वारा जमा कर दी जाती है, नई योजना के तहत सेवानिवृत्ति उपरांत
कर्मचारी को 800 से 1500 के बीच पेंशन मिल पाती है। जो अत्यधिक अल्प राशि
है, जिसके कारण कर्मचारी/अधिकारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है
एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में भी उसे कठिनाई महसूस होती है।
आधुनिक समय में सेवानिवृत्ति उपरांत भी कर्मचारी के पास सामाजिक जीवन जीने
के मध्य आने वाली जिम्मेदारियां भी अधूरी रहती हैं। तथा वह अपनी मनोदशा के
अनुसार जिम्मेदारियों का निवर्णन भी पूर्णतः नहीं कर पाता है।

अतः सेवानिवृत्ति उपरांत आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन एवं सेवाकाल में
अधूरी रह गई जिम्मेदारियों पूर्ण किये जाने के लिये शासकीय
अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

रादर.

24/2/2022
(पी.सी. शर्मा)

कमलेश्वर पटेल
विधायक, सिहावल-78
पूर्व मंत्री, म.प्र.शासन



निवास : बी-277, शाहपुरा
भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 9425007911, 9752547911
E-mail: kamleshwarpatel@gmail.com

क्रमांक : 88

भोपाल, दिनांक : 25/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
म.प्र. शासन, भोपाल।

विषय : पुरानी पेंशन बहाली, लंबित मंहगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता भुगतान के संबंध में।

विष्याकिंत लेख है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, जिला ईकाई सीधी का ज्ञापन पत्र मूलतः संलग्न है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा हाल में ही अपने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए उनके राज्य के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषण की है। राज्य के कर्मचारियों द्वारा भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग व आंदोलन काफी लम्बे समय से लगातार होते आ रहे हैं। परन्तु शासन द्वारा अबतक इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिससे राज्य के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। साथ ही कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार के समान मंहगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता साथ ही की मांग की जा रही हैं। उक्त मांगे आज दिनांक तक लंबित हैं।

आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, कि राज्य के कर्मचारियों के आर्थिक व सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने एवं मंहगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता केंद्र सरकार के समान शीघ्र भुगतान कराने का कष्ट करें।

“सादर”

25/2/22
(कमलेश्वर पटेल)

हर्षविजय गेहलोत (गुरु)

विधायक
क्षेत्र क्रमांक 221 सैलाना
जिला - रत्नाम (म.प्र.)



मो. 9300631509, 9755332221
निवास : पुराना न.पा. भवन, सैलाना
जिला - रत्नाम (म.प्र.)
• स/ 05, नवीन पारिवारिक परिसर,
विधायक विश्राम गृह, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 65

दिनांक... 24/02/2022

प्रति,

माननीय श्री शिवराजसिंहजी चौहान
मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन
भोपाल

विषय:- राज्य के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पुनः चालू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कल दिनांक 23.02.2022 को पड़ौसी राज्य राजस्थान की सरकार द्वारा बजट में उक्त प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर पुनः पेंशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि चुकिं सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय कर्मचारी अपने वृद्धावस्था में जीवन व्यापन करने में भारी असुविधा का भाव उत्पन्न हो गया है। वे अपने भविष्य के प्रति चिंताजनक हैं व अपने बेहसर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसुस करते हैं। इसलिये अपने प्रदेश में भी लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी की नियकित हुई है। उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश करने का कष्ट करें।

धन्यवाद ।।

(हर्षविजय गेहलोत)

विशाल जगदीश पटेल

विधायक, देपालपुर-203
मध्यप्रदेश विधानसभा

Email-vishaljagdieshpatel07@gmail.com



कार्यालय व निवास

श्री जगदीश पटेल वैयक हाउस
पीपर हाउस के सामने, इन्दौर रोड
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) 453115
1, शिथोली मर्दाना, बायपाता रोड, इन्दौर (म.प्र.)
मो.: 9009900007

क्रमांक..... 2771

दिनांक..... 24-02-2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जैसाकि आप अवगत हैं कि पढ़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। चूंकि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए ग्रेड के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश करने की कृपा करें।

सादर विनय

विशाल जगदीश पटेल
विधायक देपालपुर

महेश परमार

विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214



विधायक विश्रामगृह नवीन परिसर
खण्ड-ब, क्र. 8, भोपाल (म.प्र.)
14, ब्लॉक क्वार्टर, दमदमा, कोठी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

Email : mistarana214@gmail.com

M. 98260-47177

क्र.

3120 / 2022 / तराना

दिनांक

24.02.2022

प्रति,



श्री शिवराजसिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन भोपाल

विषय:- म0प्र0 राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाल्।

—000—

मार्गहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. श्री अशोक गेहलोद जी द्वारा बजट सत्र के उद्घोषन में राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आप से निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर म0प्र0 सरकार में भी जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। उनसभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने का सादर अनुरोध है।

भवदीय

महेश परमार
(महेश परमार)

तरुण भनोत

विधायक (पूर्व मंत्री)
100, जबलपुर पश्चिम
मध्य प्रदेश विधानसभा



ग्रन्थांक 423

कार्यालय : 1101, भनोत निवास
गोरखपुर, जबलपुर
कार्यालय : 0761-4054567
मोबाइल : 9425929999
ईमेल : bhanottarunkumar.1971@gmail.com

दिनांक 24.02.2022

प्रति,

श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
म.प्र. शासन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री शिवकुमार चौधे, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश शाखा, जबलपुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात कर अध्यापक शिक्षक संघर्ग के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने, परिवार के आक्रिति को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करने, शिक्षकों के सामान वेतनमान, शिक्षा गारंटी शाला से शासकीय प्राथमिक शाला में उन्नयन पर वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता, वेतन विसंगतियों से संबंधित तमाम समस्याओं और लंबित मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन की मूलप्रति आपके अवलोकनार्थ सादर संलग्न प्रेषित है।

गौरतलब है कि जिन कंधों पर प्रदेश के करोड़ो नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य की जिम्मेदारी है, वे अपने बुनियादी अधिकारों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर लंबे समय से कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के मांगों को दृष्टिगत रखते हुये गंभीरता से विचार करेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

सादर।

(तरुण भनोत)

सुश्री अनुसुईया उड़के
राज्यपाल छत्तीसगढ़



राजभवन
रायपुर - 492001
छत्तीसगढ़, भारत
फोन : +91-771-2331100
फोन : +91-771-2331105
फैक्स : +91-771-2331108

--:: आदेश ::--

रायपुर, दिनांक 24/02/2022

क्रमांक एफ 1-1/2021/रास/यू-2 :- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए मैं अनुसुईया उड़के, कुलाधिपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एतद् द्वारा Dr. Girish Chandel, Professor and Head, Department of Plant Molecular Biology and Biotechnology, RH Richharia Research Research Laboratory Building, College of Agriculture, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.) को कार्यभार म्रहण करने की तिथि से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

2/ Dr. Girish Chandel का कार्यकाल, उपलब्धियों तथा सेवा शर्त उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार होगी।

Surajit
(अनुसुईया उड़के)
कुलाधिपति
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

वीरसिंह भूरिया

विधायक थांदला
जिला झाबुआ (म.प्र.)



निवास:- ग्राम खटामा
तह मेघनगर
जिला झाबुआ (म.प्र.)
मो.न 9425102631
7470362631

क्रमांक/2022/

दिनांक 25/12/2022

प्रति

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी

माननीय मुख्यमंत्री,

मध्यप्रदेश शासन भोपाल

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीओ सब्हाल करने वाबद।

- महोदय,

उपरोक्त विषय मे अनुरोध है कि आप अवगत होंगे कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था मे हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था मे अपने आप को अधिक सुरक्षित गहसूस करते हैं इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार मे भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्तिया हुई उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें।

वीरसिंह भूरिया
विधायक थांदला
क्षेत्र क्रमांक 194

रायरसीलाल रावत

विधायक विधानसभा सेंधवा

होम क्र. 187 जिला-बड़दानी (म.प्र.)



कार्यालय : किला परिसर, मैचबा
 निवास : इन हिन्दा, लॉस्ट-बलाडौ
 तह वर्ग विला-बड़दानी (न.प.)
 भौपाल : नईन बालिकालिङ स्कूल, अ. ब्ल. 03
 दिपालपुर विकास नगर
 फँस. 94254-49445, 98175-0

पर्याप्तांक | ...50/22...../विधा/सेंधवा

दिनांक 24/02/2022

पति,

माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान
 मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
 भौपाल (म.प.)

विषय :- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि पढ़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोषारा शुल्क करने का ऐलान किया गया है।

दूसिंह रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने निलंबन वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपनेआप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें, ताकि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिल सकें।

सचन्यवाद।

रायरसीलाल रावत
 विधायक, विधानसभा होम सेंधवा

महेश राय

विधायक

मध्यप्रदेश विधान सभा

सेव काला ३३, बीना

मध्यप्रदेश, प्रशासक विधान मंत्री कार्यालय, विधान सभा



लिखा गया कार्यालय

बीनावी वार्ड अंगठी नगर के नाम

बीना जिला - माला (फोन) ५०९०२४७०११३

फोन नंबर - ०७५८०-२२३१५०

मोबाइल - ९४२५१९३७५५

ईमेल - mia.bina15@gmail.com

कामक/वि०स०/बीना-३५/२०२२/२३४

बीना दिनांक - १६/०२/२०२२

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

मध्यप्रदेश शासन भोपाल

विषय- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तरागत अनुरोध है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश भोपाल की तहसील बीना जिला सागर की इकाई द्वारा आपके नाम से मुझे आज दिनांक 15 फरवरी 2022 को जापन प्रस्तुत कर अध्यापक शिक्षक संघर्ग की क 01 से 11 तक निम्नलिखित लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण समयवधि में कराने का अनुरोध किया है !

अतः अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण करने हेतु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश भोपाल का जापन आपकी और अनुशंशा सहित सादर संप्रेषित !

संलग्न- जापन पत्र की मूलप्रति

“ धन्यवाद ”

ग्राहीया
महेश
(महेश राय)

हर्ष यादव प्राज्ञोकेट

विधायक

मित्रानन्दा लेटरी-38

झूटी गंडी, गांधीपुर शारण



विजय श्री गैस राविरा

पैन गोड देवरी

जिला-गांधी (म.प्र.) 470226

Ph. 07586-250081

Fax 07586-250281

Mob. 09425170681, 09993350681

E-mail harshyadavdeori38@gmail.com

vijayshrigas@gmail.com

पत्र क्रमांक -विधा. / १०६/ 2021-22

दिनांक ०३/०२/२०२२

प्रति,

माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान जी,
गुरुगंग्रे गढोदय,
मध्यप्रदेश शारण गोपाल

विषय— राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना(OPS) बहाल करने वाले।

—०—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि जैसा कि आपको विदित है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजायूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

सादर

हर्ष यादव
पूर्व मंत्री
विधायक देवरी

विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214



खंड-४, पा. ०, वाराणी ८००००५
14, ब्लॉक एचार्टर, दमदमा, कोटी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

Email : mistarana214@gmail.com

M. 98260-47177

क्र.
3120 / 2022 / तराना

दिनांक

24.02.2022

प्रति,

श्री शिवराजसिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन भोपाल

विषय:- म0प्र0 राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले।

—000—

माझगहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. श्री अशोक गोहलोद जी द्वारा बजट सत्र के उद्घोषण में राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आप से निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर म0प्र0 सरकार में भी जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनसभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिये जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करने का सादर अनुरोध है।

मवदीय
महेश परमार
(महेश परमार)
विधायक

देवेन्द्र सिंह पटेल

विधायक उदयपुरा
विधानसभा क्षेत्र क्र. 140



ફોન : ચંગલા નં. ૬-૧૮૬/૪, ચૌંપે ચિંદુન
ટોસ્ટિટલકે પામ પોર્ટિનર કાર્લોની ભોંપાલ
પાંચથી ત્યારામ : પાનાથ. 12, પાંચથી પંદ્રૂલ પદ્મ કે પામ, બોંપાલ
માઈ ટેલિમ : પામ ગાડાવાસ, ગા. ચાણી, જિલ્લા - સાયસન
દૂરધ્વા : +91 9893686126, +91 6263443601
ફોન : 0755 2661445

2756

ક્રમાંક

દિનાંક ૨૫.૦૨.૨૦૨૧

પ્રતિ,

માનનીય મુખ્યમંત્રી મઠોદા,
મધ્યપ્રાદેશ શાસન,
ભોપાલ

વિષય:- રાજ્ય કે સરકારી કર્મચારીઓ કી પુરાની પેંશન યોજના (OPS) બઢાલ કરને વિષયક।

માનનીય મુખ્યમંત્રી જી, સમસ્ત સરકારી કર્મચારીઓ કી પુરાની પેંશન યોજના (OPS) પુનઃ શુદ્ધ કર્યે જાને કી માંગ આપકે સંજ્ઞાન મેં હૈ | અભી ઠાલ ઠી મેં રાજ્યસ્થાન સરકાર દ્વારા શાસકીય કર્મચારીઓ કી પુરાની પેંશન યોજના (OPS) કો દોબારા શુદ્ધ કરને કી ઘોષણા કી ગરી હૈ | સેવાનિવૃત શાસકીય કર્મચારીઓ કે લિએ વૃદ્ધાવસ્થા મેં છર માટિને મિલને વાલી પેંશન ઠી ઉનકે જીવન કો આર્થિક મજબૂતી કે સાથ સુરક્ષા પ્રદાન કરતા હૈ | શાસકીય કર્મચારી આપને વેદતર ભવિષ્ય કો લેકર પુરાની પેંશન વ્યવસ્થા મેં અપને આપ કો અધિક સુરક્ષિત મધ્યૂસ કરતે હોય, ઇસીલિએ પ્રાદેશ કે સભી શાસકીય કર્મચારી લંબે સમય સે પુરાની પેંશન વ્યવસ્થા લાગૂ કરને કી માંગ કર રહે હોય |

અત: આપણે નિવેદન હૈ કિ આગામી બજાટ સત્ર મેં રાજ્યસ્થાન સરકાર કે તર્જ પર મધ્યપ્રાદેશ સરકાર મેં ભી | જનવરી 2004 કે બાદ સે જિતને ભી કર્મચારીઓ કી નિયુતિ દુર્ઝ હૈ, ઉન સભી કો પુરાની પેંશન યોજના કે તફત લાભ દિએ જાને કા જલ્દ સે જલ્દ આદેશ જારી કરો |

“સધન્યવાદ”

માનનીય,

(દેવેન્દ્ર સિંહ પટેલ)
વિધાયક

कमलेश प्रताप शाह

विधायक

विधानसभा क्षेत्र - 123, अमरवाडा
जिला-चिन्दवाडा (मध्यप्रदेश)



निवास :- राजमहल, तहसील-हर्ष्ट
जिला-चिन्दवाडा (म.प्र.)
मोबाइल नं. :- 9424679367

क्रमांक .३७/२२.....

दिनांक २५/०२./२०२२

प्रति,

श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने बाबत।
महोदय जी,

जैसाकि आप अवगत हैं कि पढ़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी १ जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

सधन्यवाद

भवदीय

कमलेश प्रताप शाह

विधायक

विधानसभा क्षेत्र अमरवाडा

हर्षविजय गेहलोत (गुरु)

विधायक
क्षेत्र क्रमांक 221 सैलाना
जिला - रत्लाम (म.प्र.)



मो. 9300631509, 9755332221
निवास : पुराना न.पा. भवन, सैलाना
जिला - रत्लाम (म.प्र.)
• स/ 05, नवीन पारिवारिक परिसर,
विधायक विभाग गृह, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 65

दिनांक... २४/०२/२०२२

प्रति,

माननीय श्री शिवराजसिंहजी चौहान
मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन
भोपाल

विषय:- राज्य के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पुनः चालू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कल दिनांक 23.02.2022 को पड़ोसी राज्य राजस्थान की सरकार द्वारा बजट में उक्त प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर पुनः पेंशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि चुकिसे विवृति के उपरान्त शासकीय कर्मचारी अपने वृद्धावस्था में जीवन व्यापन करने में भारी असुविधा का भाव उत्पन्न हो गया है। वे अपने भविष्य के प्रति चिंताजनक हैं वे अपने बेहसर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसुस करते हैं। इसलिये अपने प्रदेश में भी लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी की नियमित हुई है। उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश करने का कष्ट करें।

धन्यवाद ।।

(हर्षविजय गेहलोत)

विशाल जगदीश पटेल

विधायक, देपालपुर-203

मध्यप्रदेश विधानसभा

Email-vishalpateofficial07@gmail.com



कार्यालय व निवास

श्री जगदीश पटेल वेयर हाउस
पौधर हाउस के सामने, इन्दौर रोड
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) 453115
1, भिंडीली मर्दाना, बायपास रोड, इन्दौर (म.प्र.)
मो.: 9009900007

2771

क्रमांक.....

दिनांक..... 24-02-2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने वाबद।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जैसाकि आप अवगत हैं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। चूंकि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का शीघ्र आदेश करने की कृपा करें।

सादर विनय



आपका

विशाल जगदीश पटेल
विधायक देपालपुर

पी.सी. शर्मा (पूर्व मंत्री)
पिधायक, द. प. 152 भोपाल,
समाप्ति, लोक सेक्षा समिति
मध्यप्रदेश विधान सभा



निवास : F-1/7, 1100 क्षाटर्स, भोपाल
गो. नं. : 9425010011
फोन नं. : 0755-2440512
पिंगल रामा फोन नं. : 0755-2523069

क्रमांक. 1003.

भोपाल, दिनांक. 24/2/22

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
म.प. शासन,
भोपाल

विषय :- म.प्र. शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू
किये जाने वावत्।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया जा रहा है कि अन्य प्रदेशों की
भाँति म.प्र. राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2005 एवं 2005 के बाद
पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। तथा नई पेंशन शुरू की गई थी, जिसमें
अधिकारी/कर्मचारियों के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत कटौत्रा कर, उतनी ही राशि
सरकार द्वारा जमा कर दी जाती है, नई योजना के तहत सेवानिवृत्ति उपरांत
कर्मचारी को 800 से 1500 के बीच पेंशन मिल पाती है। जो अत्यधिक अल्प राशि
है, जिसके कारण कर्मचारी/अधिकारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है
एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में भी उसे कठिनाई महसूस होती है।
आधुनिक समय में सेवानिवृत्ति उपरांत भी कर्मचारी के पास सामाजिक जीवन जीने
के मध्य आने वाली जिम्मेदारियां भी अधूरी रहती हैं। तथा वह अपनी मनोदशा के
अनुसार जिम्मेदारियों का निवहन भी पूर्णतः नहीं कर पाता है।

अतः सेवानिवृत्ति उपरांत आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन एवं सेवाकाल में
अधूरी रह गई जिम्मेदारियों पूर्ण किये जाने के लिये शासकीय
अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

रादर,

२४/२/२२
(पी.सी. शर्मा)

कुण्ठल चौधरी
विधायक
कालापीपल 169
जिला-शाजापुर, म.प्र.



74, बंगले, डी - 13, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2446227
मोबाइल : 9893094558
कार्यालय – मेन शेड कालापीपल मंडी
जिला-शाजापुर (म.प्र.)
Email : kunalgecu@gmail.com

क्रमांक KPL/1422

दिनांक : 24/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
म.प्र. शासन, भोपाल म.प्र.

विषय:- राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने वाला।
महोदय,

उपरोक्त विषयात्मक लेख है कि जैसा कि आप अवगत है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने येहतर भविष्य को लेकर पुरानी व्यवस्था में अपनेआप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे नियेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 01 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

कुण्ठल चौधरी
विधायक

169-कालापीपल, शाजापुर
जिला शाजापुर



जयवर्द्धन सिंह
विधायक, राजीगढ़

क्रमांक. 21/22

भोपाल, दिनांक 24.02.2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल

विषय :— मध्यप्रदेश में नेशनल पेंशन रकीम बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने वाले।

— — 0 — —

मध्यप्रदेश में 1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को नवीन नेशनल पेंशन रकीम में समिलित किया गया है इसके पूर्व के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदेश में दिया जा रहा है। नवीन पेंशन रकीम बंद कर पुरानी पेंशन रकीम लागू करने के लिये प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों द्वारा विगत 17 वर्षों से मांग की जा रही है।

मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बजट सत्र 2021 में मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 5791 की कण्डिका (ग) में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से प्रदेश के कर्मचारियों संगठनों से पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने हेतु प्राप्त पत्रों की जानकारी एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी, जिस पर माननीय मंत्री ने 19 मार्च 2021 को सदन में दिये लिखित जवाब में स्वीकार किया है कि “जी, हाँ। भारत सरकार द्वारा लागू की गई पुर्णसंरचित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनुसार ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की है। नवीन पेंशन प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।” उक्त जवाब से यह परिलक्षित होता है कि भारत सरकार द्वारा लागू एन.पी.एस.को म.प्र.शासन द्वारा बदला भी जा सकता है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने भारत सरकार के द्वारा लागू की गई नीति का अनुसरण करते हुये एन.पी.एस. लागू की थी। सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के लिये अभी तक कोई पहल ही नहीं की है, जिससे प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकें।

मैं यहां पर यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि नवीन पेंशन प्रणाली बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने हेतु राजस्थान सरकार ने दिनांक 23/02/2022 को आदेश प्रसारित कर राजस्थान में कार्यस्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है। इसी तरह अगर मध्यप्रदेश सरकार अपने समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहती है तो उसे भी कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लेना चाहिये। जहां एक प्रदेश की सरकार कोविड-19 जैसी महामारी में इन कर्मचारियों की जानजोखिम में डालकर काम लेती है और उनके कोविड के कारण

महेश याय

विद्यायक

मध्यप्रदेश विधान सभा

पोर्टफॉली 33, बीना

महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र 411001

मेरि विधायक सभिता



मेरि विधायक सभिता

बीना विधायक सभा - महाराष्ट्र (4000) 470113

फोन कम्बर 07580-223150

फोकल 9425193755

ईमेल mia.bina15@gmail.com

क्रमांक/विंस०/बीना-35/2022/234

बीना दिनांक 18/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

मध्यप्रदेश शासन भोपाल

विषय- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में

—oo—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत अनुरोध है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश भोपाल की तहसील बीना जिला सागर की इकाई द्वारा आपके नाम से मुझे आज दिनांक 15 फरवरी 2022 को जापन प्रस्तुत कर अध्यापक शिक्षक संघर्ग की क्र 01 से 11 तक निम्नलिखित लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण समयबंधि में कराने का अनुरोध किया है !

अतः अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मार्गों और समस्याओं का निराकरण करने हेतु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश भोपाल का जापन आपकी और अनुशंशा सहित सादर संप्रेषित !

संलग्न- जापन पत्र की मूलप्रति

“ धन्यवाद ”

अवटीय

महेश याय

(महेश याय)

डॉ. हिरालाल अलावा

एमबीबीएस, एमडी
पूर्व-सहाय्य प्रो. एम्स, नई दिल्ली
विधायक
मनावर, क्षेत्र क्रमांक - 199

पत्र सं. 430/एमपी-एमएलए/2022



Dr. Hiralal Alawa

MBBS, MD,
ex-Asst. Prof. AIIMS, New Delhi

MLA
Manawar, Const. No. 199

दिनांक : 23/02/2022

प्रति

श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

**विषय : राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS)
बहाल करने बाबत।**

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है।

चूंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महिने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपनेआप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

सधन्यवाद

भवदीय

डॉ. हिरालाल अलावा

लक्ष्मण सिंह

विधायक
30-चांचोडा, जिला गुना (म.ग.)



किला, गापोगढ़
जिला गुना (म.ग.) पिन - 473226
टूरमाप (07544) 262246
ई-मेल - laxmanragho@gmail.com

पत्र क्र.904/MLA/CHACHODA

दिनांक 19 फरवरी 2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय: अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है की संभागीय उपाध्यक्ष श्री इश्वर सिंह राठोड़ एवं श्री कृष्णगोपाल टेलर, जिला अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला गुना म.ग.से ग्राम आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मंग्लन प्रेपित है। अध्यापक शिक्षक संघर्ग की निपांकित लंबित मांगों के निराकरण हेतु निवेदन किया गया है:

1. शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली, आवृत्ति को अनुकम्पा नियुक्ति, वरिष्ठता मूर्ची का प्रकाशन, केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता।
2. ग्रेज्युटी का लाभ, ग्रीन कार्ड वेतनवृद्धि का लाभ एवं वेतन विमंगति में मुधार इत्यादि।

कृपया सादर अनुरोध है कि शिक्षकों की मांगों के निराकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)

प्रियव्रत सिंह

विधायक
वि.हॉ.: खिलचीपुर - 163



निवास : गजमहल,
खिलचीपुर-465679
ज़िला-गजगढ़ (म.प्र.)
दूरभाष : 07370-277628
भोपाल : एन-1/6, नया पारिवासिक
परिसर, खण्ड-1, विधायक
विभाग गृह, मालवीय नगर,
भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2440801

पत्र क्रमांक/ 524

दिनांक 15/02/2022

✓प्रति.


माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय :- अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि श्री कमलसिंह पंवार, जिला अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला राजगढ़ म.प्र. से प्राप्त आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। अध्यापक शिक्षक संघर्ग की निम्नांकित लंबित मांगों के निराकरण हेतु निवेदन किया गया है। जो कि निम्न है :-

1. शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, आक्षित को अनुकम्पा नियुक्ति, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता
2. ग्रेज्युटी का लाभ, ग्रीन कार्ड वैतनवृद्धि का लाभ एवं वैतन विसंगति में सुधार इत्यादि।

कृपया सादर अनुरोध है कि शिक्षकों की उपरोक्त मांगों के निराकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करवाने की कृपा करें।


(प्रियव्रत सिंह)

पृ.क्र./

खिलचीपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. श्री कमलसिंह पंवार, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ म.प्र. निवास - जीरापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रियव्रत सिंह)

प्रपत्र क्रमांक ग-

प्रति,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा,

भोपाल.

वर्ग : ।

बैठक (उत्तर) का दिनांक : 24/03/2022

विभाग से वापसी दिनांक : 16/03/2022

विभाग का नाम : स्कूल शिक्षा

***तारांकित प्रश्न क्रमांक :**

सदस्य का नाम : श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू

विषय : - शिक्षाकर्मीयों की पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के संबंध में

क्या राज्य मंत्री ,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या शिक्षाकर्मी पद पर भर्ती नियमित वेतनमान पर की गई? फिर 2007 में अध्यापक संघर्ग में संविलियन किया गया? और अब वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा में परिवर्तित किया गया।

(ख) राज्य शिक्षा सेवा में निहित शतौं में उल्लेख है कि अध्यापक संघर्ग को वरिष्ठता सहित पदोन्नति सम्बन्धी सारी सुविधाओं का लाभ शिक्षाकर्मी की सेवाओं को जोड़ते हुए प्रदाय किया जावेगा। तो क्या दिवंगत एवं सेवानिवृत अध्यापकों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जा रहा है?

(ग) क्या NPS में कर्मचारी का अंशदान 10% है, जबकि सरकार की ओर से 14% राशि अंशदान के रूप में जमा किया जा रहा है, जो प्रति शिक्षक 7000 रुपये मासिक जमा हो रहा है। प्रदेश में 3 लाख नवीन शिक्षक संघर्ग हैं, जिनके लिए 25 अरब 20 करोड़ लगभग सालाना व्यय राजकोष से हो रहा है। यदि हाँ तो क्या पुरानी पेंशन लागू कर कर्मचारियों की 14% राशि काटने की बजाय 10% राशि जीपीएफ खाते में जमा कर उस राशि के ब्याज से सरकार पुरानी पेंशन चालू करेगी यदि हाँ तो समय सीमा बताई जावे और यदि नहीं तो सरकार स्वयं का और राजकोष का नुकसान तो नहीं कर रही।

(घ) क्या शासन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर विचार करेगी?

सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर : श्री अनिरुद्ध (माधव)

मारू

दिनांक : 16/02/2022

पूर्वोत्तम जाल तंतुवाया

विधायक

विधानसभा दोप्र क. 57 हटा जिला-ढमोह (म.प्र.)

सदस्य

अ.जा./अ.ज.जा. व पिछे वर्ग के उन्याण संबंधी समिति
म.प्र. विधानसभा भोपाल



विधानसभा दोप्र क. 57 हटा जिला-ढमोह (म.प्र.)
कार्यालय-डी-21 अकासेन नगर, बाढ़ना नाका हटा
भोपाल निवास-एच.एल.ए. रेस्ट हाउस
घाण्ड-2 कठा क. -56, 57
मो.-9826252881, 9425880883
E-mail : pitantuwayhatta@gmail.com

क्रमांक- २५४४

दिनांक- 16/2/22

आदरणीय,
श्री शिवराज सिंह जी,
मुख्यमंत्री महोदय
मध्यप्रदेश शासन

सादर प्रणाम,

विषय— अध्यापक संवर्ग की लंबित मार्गों के निराकरण संबंधी।

—000—

आज दिनांक 16.02.2022 को अध्यापक संवर्ग द्वारा प्रदाय ज्ञापन मूलतः संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि अंशदान पेशन योजना के बदले पुरानी पेशन योजना लागू की जावे। साथ ही अनुकूल नियुक्ति व कमोन्नत वेतनमान तथा केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महगांई भत्ता चाहे जाने एवं अन्य सुविधाये चाहे जाने का अनुरोध किया गया है। अध्यापक संवर्ग की मार्गों जायज होने के कारण गभीरता पूर्वक विधार कर लागू करने की कृपा करें। जिससे अध्यापक संवर्ग को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

संलग्न— ज्ञापन की मूल प्रति।

(पी.एल. तंतुवाया)

ब्रह्मा भलावी

विधायक
सेत्र क्र. 132, घोड़ाड़ोगरी,
जिला बैतूल (म. प्र.)



विधायक विभाग गृह, ग्राहक 3,
सम नं. 26 से 28, भोपाल
निवास पटा—याम-तेंदुखोड़ा,
पी.—चूनाहजूरी, तह. शाहपुर,
जिला बैतूल (म. प्र.)
मो. नं. 8989584244, 9098238245,
6266073875

क्रमांक/फ़िल्स चेहरोंकी/2022/66

दिनांक 16/02/2022

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
मध्यप्रदेश शासन भौपाल

विषय— अध्यापक शिक्षक संघर्ग की लवित मार्गो और समस्याओं का निराकरण करने वाले।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयात्मक आज्ञाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश विकासखंड घोड़ाड़ोगरी जिला बैतूल द्वारा उनकी न्यायोंचित मार्गो के सबध में झापन सीधा गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। जिनमे इनकी प्रमुख मार्गो निम्नानुसार हैं :-

1. अध्यापक शिक्षक संघर्ग को भी अशदाई पेशन के स्थान पर पुराने शिक्षक संघर्ग की भाँति पुरानी पेशन लागू की जावे।
2. विगत वर्षों में दिवगत अध्यापक शिक्षक संघर्ग को आवित परिवार के सदरय के अनुकूल नियुक्ति के आदेश जारी किए जावे।
3. 2006, 2007, 2008, 2009 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक की प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान एवं 1998 और 2001 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संघर्ग को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जावे।
4. गुरुजी संघर्ग के अध्यापक शिक्षक संघर्ग को भी शिक्षा गार्टी शाला से शासकीय प्राथमिक शाला में उन्नयन दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे।
5. समस्त शासकीय कर्मचारियों की प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की रिति में वरिष्ठता सूची जारी की जावे।
6. अध्यापक शिक्षक संघर्ग को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जावे।
7. विगत वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक शिक्षक संघर्ग को 500 से 2500रुपये मासिक पेशन के स्थान पर पुरानी पेशन के अनुसार मासिक पेशन भुगतान की जावे।
8. सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक शिक्षक संघर्ग को भी रोज्युटी का लाभ दिया जावे।
9. अध्यापक शिक्षक संघर्ग को भी धीनकाढ़ की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।
10. 2006 या उसके बाद नियुक्त अध्यापक शिक्षक संघर्ग की वेतन विसंगति में सुधार किया जावे।
11. 01 जुलाई 2018 से नवीन शिक्षक संघर्ग शामिल होने से विभिन्न शीष सभी अध्यापक संघर्ग, संविदा शिक्षक संघर्ग और गुरुजी संघर्ग को विभागीय जानकारी लेकर नवीन शिक्षक संघर्ग में शामिल किया जावे।

अत माननीय महोदय जी, से अनुरोध है कि अध्यापक शिक्षक संघर्ग की जायज लवित मार्गो पर गमीरता एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आदेश करने का कष्ट करें।

संलग्न— झापन

U.P. P. C.
ब्रह्मा भलावी
ब्रह्मा भलावी
किल्लमुक्कु-घोड़ाड़ोगरी-132
जिला - बैतूल (म. प्र.)

वीरसिंह भूरिया

विधायक थांदला

जिला झाबुआ (म.प्र.)



निवास:- ग्राम खटामा
तह, मेघनगर
जिला झाबुआ (म.प्र.)
मो.न 9425102631
7470362631

क्रमांक. / 2022 / 1067
प्रति

दिनांक 16/2/2022

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी

माननीय मुख्यमंत्री,

मध्यप्रदेश शासन भोपाल

विषय:- अध्यापक शिक्षक संघ की लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण
करने बाबद

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ
मेघनगर जिला झाबुआ द्वारा अध्यापक शिक्षक संघ की लंबित मांगों और समस्याओं
के निराकरण हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की मूल प्रति आपकी ओर पेशित है
।

कर्मचारी संगठनों द्वारा दिये गये ज्ञापन के अनुसार बिन्दू क्रमांक 01
से 11 तक लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु आपकी ओर
प्रेषित किया जा रहा है

उपरोक्त कर्मचारियों की मांग उचित प्रतित होती है तदनुसार
कर्मचारियों की मांग संबंधि निराकरण आदेश प्रदान करने संबंधि कार्यवाही करने हेतु
अनुरोध है ।

संलग्न:- ज्ञापन उपरोक्तानुसार -

वीरसिंह भूरिया,
विधायक थांदला
क्षेत्र क्रमांक 194